–: राजस्थान सरकारः–

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0–85 / 2022

(जीसीएमएस नं0 2022 / 30)

उनवान –सरकार बनाम 1. वारेलाल पुत्र श्री परिमाल प्रजापति उम्र 38 वर्ष , जाति प्रजापति, मालिक मैसर्सः चित्रकूट मिष्ठान भण्डार, भरतपुर रोड, सैंपऊ धौलपुर निवासी भरतपुर रोड, सैंपऊ धौलपुर जिला धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 51,64 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय **दिनांक –25.04.2024**

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पुदम सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त वारेलाल पुत्र श्री परिमाल प्रजापति उम्र 38 वर्ष , जाति प्रजापति, मालिक मैसर्सः चित्रकूट मिष्ठान भण्डार, भरतपुर रोड, सैंपऊ धौलपुर निवासी भरतपुर रोड, सैंपऊ धौलपुर जिला धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii) / 51,64 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.10.2022 को अभियुक्त / अप्रार्थी के दुकान मैसर्सः– चित्रकूट मिष्ठान भण्डार, भरतपुर रोड, सैंपऊ धौलपुर निरीक्षण के दौरान दुकान में रखे लगभग 10 किलोग्राम बर्फी (मावा मिठाई) को आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त बर्फी (मावा मिठाई) में मिलावट का शक होने पर उक्त बर्फी (मावा मिठाई) को 2 किलोग्राम बर्फी (मावा मिठाई) वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त बर्फी (मावा मिठाई) नमूना डी–2598 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जॉच रिपोर्ट एलएस / 1035 / एक्ट / 2022 / 1036 दिनांक 20.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया बर्फी (मावा मिठाई) अवमानक (Substandard) प्रकृति का होना पाया गया एवं पूर्व में भी नमूना संख्या डी–2309 जो कि Food containing extraneous matter प्रकृति का पाया जो कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा पूर्व में जुर्माना लगाया गया था जो कि धारा 26 की उप धारा 2(v) का उल्लंघन है एवं जिसका जुर्माना धारा 64 में वर्णित है । न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त / अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त अवमानक (Substandard) बर्फी (मावा मिठाई) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी अवमानक (Substandard) बेचने का दोषी है जो धारा 51के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। पूर्व में भी नमूना संख्या डी–2309 जो कि Food containing extraneous matter प्रकृति का पाया जो कि न्यायालय द्वारा पूर्व में जुर्माना लगाया जाना बताया गया है इस सम्बन्ध में पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है।

Scanned with OKEN Scanner

—: राजस्थान सरकार:—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0—85/2022 उनवानी सरकार बनाम वारेलाल

(2)

अतः श्री वारेलाल पुत्र श्री परिमाल प्रजापति उम्र 38 वर्ष , जाति प्रजापति, मालिक मैसर्स: चित्रकूट मिष्ठान भण्डार, भरतपुर रोड, सैंपऊ धौलपुर निवासी भरतपुर रोड, सैंपऊ धौलपुर जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 50,000/—रुपये (पच्चास हजार रूपये) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर(राज0)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner